न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–66/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/66)

1. लालचंद पुत्र स्व0 हरीराम,
2. सीता उर्फ लाली पुत्री स्व0 हरीराम
   दोनों जाति नाई, निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. कैलाश पुत्र बिरदीचंद (तथाकथित गोदपुत्र सूरजमल) जाति नाई, निवासी चांपानेरी, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।
2. सायरी पुत्री स्व0 हरीराम
3. रमेश पुत्र स्व0 हरीराम
   दोनों जाति नाई निवासीगण केकड़ी तहसील जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2022 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, राजस्व वाद संख्या 302/2016

उपस्थितः–

1. श्री आर0पी0शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री अरविन्द शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02,03
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04

निर्णय

दिनांकः–25.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 302/2016 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 जिसे आगे विपक्षी कहा जाएगा ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 6035, 6563, 6564 एवं 6578 वाकै स्थित केकड़ी तहसील केकड़ी बाबत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने गैरकानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 4.01.2022 द्वारा विपक्षी का वाद पत्र स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 302/2016 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर कथन किया कि प्रार्थीगण निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं जो प्रकरण के न्यायिक निर्णय हेतु आवश्यक है जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। (1)जमाबंदी संवत 2065–681 (2) पगडी दस्तूर का स्टाम्प दिनांक 17.5.73 (3) पंच निर्णय दिनांक 12.5.1973. उपरोक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायिक निर्णय में सहायक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कल्याण वल्द ऊकार की आराजी थी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान पत्नी गेन्दी व पुत्री नाथी के नाम दर्ज कर दी गई तथा कल्याण ने एवं उनकी पत्नी गेंदी ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांटस के पिता हरीराम को गोदपुत्र मान लिया था तथा बतौर गोदपुत्र अपीलांटस के पिता हरीराम, कल्याण व गेंदी के पास की निवास करते थे। वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में अपीलांटस के पिता एवं उनके पश्चात अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 2 व 3 निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादग्रस्त आरजी के संबंध में व्यथित पक्षकार है। वादग्रस्त आराजी नाथी के पीहर पक्ष की है एवं विपक्षी का पीहर पक्ष की आराजी में कोई सरोकार व संबंध नहीं है। बल्कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटस का हक व अधिकार है जिन्हें वाद में पक्षकार ही नही बनाया गया। वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में अपीलांटस के पिता एवं उनके पश्चात अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 2 व 3 निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में अपीलांटस के पिता एवं उनके पश्चात अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 2 व 3 निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे ह वादग्रस्त आराजी के पिता हरीराम ही विधिक अधिकारी है तथा अपीलांटस उनके विधिक वारिसान निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में अपीलांटस के पिता एवं उनके पश्चात अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 2 व 3 निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वादग्रस्त आरजी के संबंध में व्यथित पक्षकार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कल्याण वल्द ऊकार की आराजी थी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान पत्नी गेंदी व पुत्री नाथी के नाम दर्ज कर दी गई तथा कल्याण ने एवं उनकी पत्नी गेंदी ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांटस के पिता हरीराम को गोदपुत्र मान लिया था तथा बतौर गोदपुत्र अपीलांटस के पिता हरीराम कल्याण व गेंदी के पास ही निवास करते थे। इन सब तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोडेंटस संख्या 1/विपक्षी ने अपने आप को बिना किसी दस्तावेज के नाथी का गोदपुत्र बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जो कतई चलने योग्य नहीं था। वादग्रस्त आराजी नाथी के पीहर पक्ष की थी एवं विपक्षी का पीहर पक्ष की आराजी में कोई सरोकार व संबंध नहीं है। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वह नाथी का गोदपुत्र हो बल्कि हरीराम, कल्याण का गोदपुत्र होने से वादग्रस्त आराजी में अपीलांटस का हक एवं अधिकार है जिन्हें वाद में पक्षकार ही नही बनाया गया। जबकि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 2 व 3 निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। कल्याण की मृत्यु के उपरांत कल्याण के समस्त क्रियाकर्म व गेंदी की उपस्थिति में गेंदी की सहमति से अपीलांटस के पिता हरीराम ने ही सम्पन्न कराए तथा कल्याण की मृत्यु के बाद कल्याण की पत्नी गेंदी की सेवाचाकरी भी अपीलांटस के पिता हरीराम ने ही की गेंदी की मृत्यु हो जाने से उसका गंगा प्रसादी व समस्त क्रियाकर्म व कर्मकाण्ड भी हरीराम ने ही किए। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि गेंदी के गंगौज के दिन समाज के पंचचों व गांवायी पंचों व मौहल्ले के पडौसियों द्वारा वादी के पिता हरीराम के पगडी का दस्तूर करवाया गया तथा समस्त लिखापढी समाज के पंचों के सामने की गई जिससे पूर्णतः सिद्ध हैं कि वादग्रस्त आराजी के अपीलांटस के पिता हरीराम ही विधिक अधिकारी है तथा अपीलांटस उनके विधिक वारिसान निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनका वाद स्वीकार योग्य हों। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वाद प्रस्तुत होने के पश्चात दिनांक 29.11.16 को वास्ते जवाब हेतु नियत था। अपरिपक्व वाद को ही वादी की साक्ष्य में नियत कर बिना किसी आधार के विपक्षी का वाद स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 302/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– 2001 आर0बी0जे0 313, 2008आर0बी0जे0 406, 1998आर0बी0जे0 215, 2006आर0बी0जे0 406.

7. अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या1, 2 व 3 में वर्णित दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अपील का कानूनन एडमिशन भी अभी नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में जब तक न्यायालय द्वारा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील का कानूनन एडमिशन नहीं कर लिया जाता है तब तक विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथाकथित असंगत दस्तावेज को कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण का निर्णय करने में सहायक नहीं होने से कानूनन दुस्तावेज को एडमिशन से पूर्व रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत नहीं दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के जवाब में कथन किया कि विवादित आराजी मुतनाजा के बाबत् सूरजमल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को गोद लिए जाने से अप्रार्थी द्वारा जरिये गोदनामें के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2022 को कानूनन अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में डिक्री किया है। प्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजी मुतनाजा बाबत् पारित निर्णय से ना तो व्यथित पक्षकार है एव ना ही आवश्यक पक्षकार है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि स्वर्गीय नाथी पुत्री स्वर्गीय कल्याण पत्नी स्वर्गीय सूरजमल तथा स्वर्गीय सूरजमल ने अपने जीवनकाल में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कैलाश को गोद लिया था तथा स्वर्गीय नाथी तथा स्वर्गीय सूरजमल की अंतिम समय तक सेवा सुश्रषा भी वादी ने ही की थी। ग्राम चापानेरी स्थित स्वर्गीय नाथी के राजस्व रेकार्ड एवं राशन कार्ड तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार वादी दत्तक पुत्र है। स्वर्गीय नाथी की ग्राम चापानेरी स्थित भूमि भी वादी के नाम दर्ज की गई है जिस कारण ही वादी स्वर्गीय नाथी का उत्तराधिकारी होने से स्वर्गीय नाथी की केकड़ी स्थित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर एवं विधि अनुसार गोद पुत्र होने के कारण जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है। अपीलांट कल्याण का गोदपुत्र है ना स्वर्गीय नाथी का तथा वर्तमान अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम गोद पुत्र होने के कारण चापानेरी स्थित भूमि उसके नाम चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नही की है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

11. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना प्रार्थना पत्र अतंर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया दस्तावेज विवातिदत भूमि से संबंधित है न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण उन्हें न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।

12. तत्पश्चात हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 का प्रार्थना पत्र को प्रथमतः निर्णित किया जाना उचित समझते हैं प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीया का कथन है कि विवादित भूमि सूरजमल की ना होकर कल्याणमल ऊकार की भूमि थी तथा कल्याणमल द्वारा अपीलांटस के पिता हरीराम को गोद पुत्र माना था इस कारण अपीलार्थी का हित अपीलाधीन भूमि में निहित करता है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से अपीलार्थी के हक अधिकार प्रभावित हुए हैं अपीलार्थी पीडित पक्षकार है इस कारण अपील प्रस्तुती की अनुमति एवं सुनवाई की अनुमति गुणावगुण पर प्रदान की जावें। रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध किया कि अपीलार्थी का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है अपीलार्थी पीडित पक्षकार नहीं है अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्षकरों के मत अपीलाधीन भूमि को लेकन गंभीर विवाद है। अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किए अपीलार्थी को पीडित पक्षकार मानते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

302/2016 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2022 के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

13. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलाधीन भूमि को नाथी पुत्री कल्याण बाबर की खातेदारी मानते हुए एवं सूरजमल पुत्र ऊकार की पत्नी मानते हुए एवं वादी रेस्पोडेंट को सूरजमल का गोदी पुत्र मानकर अपीलाधीन भूमि सूरजमल की खातेदारी मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन भूमि सूरजमल की ना होकर कल्याणमल ऊकार की खातेदारी की भूमि थी व कल्याणमल द्वारा तथा कल्याणमल के स्वर्गवास के बाद अपीलाधीन भूमि कल्याणमल की पत्नी गेंदी व पुत्री नाथी के नाम दर्ज कर दी एवं कल्याणमल एवं गेंदी द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलार्थी हरीराम को गोदपुत्र मान लिया था तथा हरीराम कल्याणमल गेंदी के पास निवास करता था तथा अपीलाधीन भूमि नाथी के पीहर पक्ष की भूमि थी इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा बैसाख सुदी पूनम संवत 2030 दिनांक 17.5.1973 की तहरीर एवं एक तहरीर दिनांक 12.5.1973 की प्रस्तुत की रेस्पोडेंट का कथन है कि अपीलाधीन भूमि से कल्याणमल ऊकार की भूमि नहीं थी बल्कि नाथी के पति सूरजमल की भूमि थी एवं नाथी द्वारा रेस्पोडेंट को गोदपुत्र मानते हुए राजकीय दस्तावेजों बतौर गोद अंकित करवाया था। अपीलाधीन भूमि पत्रावली पर पक्षकारान द्वारा विवादित भूमि के संबंध में सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि अपीलाधीन भूमि सूरजमल की भूमि थी अथवा कल्याण की भूमि थी यह साक्ष्य का विषय है, इस कारण पत्रावली का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पक्षकारान की सम्पूर्ण साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर तनकीयात बनाते हुए निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

14. अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रकरण संख्या 302/2016 (2016/00577) उनवानी कैलाश बनाम सरकार दिनांक 04.1.2022 निरस्त किया जाता है। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी केकड़ी को प्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सम्पूर्ण जवाब व साक्ष्य का मौका दिया जाकर प्रकरण को पुनः निर्णित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.02.2023 को उपस्थित (स्वयं या अभिभाषक के जरिये) होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner